



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ—14(७)परावि/नियम/विधि/पंरा/2017/121 जयपुर दिनांक:— 08/02/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद— समस्त ।

विषय:—अवधिपार पट्टा विलेखों के पुनर्विधिमान्यकरण के क्रम में।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 में उप नियम 167(ए) जोड़कर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पुनर्विधिमान्यकरण का प्रावधान किया गया है।

उक्त प्रयोजन हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.01.2018 से शुल्क का निर्धारण भी किया जा चुका है। उक्त प्रावधानों के फलस्वरूप ऐसे विलेख जिनके पंजीयन की निर्धारित समय सीमा (जो स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत विहित की गई हैं) के समाप्त होने के पश्चात् पुनर्विधिमान्यकरण किया जा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग कर, ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में जारी ऐसे पट्टे धारक, जो पट्टा विलेख का पंजीयन नहीं करा पाये हैं, उनको पंजीयन की सुविधा प्रदान कर, लाभाविन्त किया जा सकता है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पंजीयन हेतु उक्त प्रावधानों का उपयोग कर, आमजन को राहत प्रदान करावें।

सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न है।

20
(सुदर्शन सेठी) ८.२.२०१८
अतिथि मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:— विकास अधिकारी, पंचायत समिति(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत को अग्रेषित कर इसकी पालना सुनिश्चित करें।

मा
शासन उप सचिव(विधि)



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 2, गुरुवार, शाके 1939—नवम्बर 23, 2017
Agrahayana 2, Thursday, Saka 1939—November 23, 2017

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप—विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 22, 2017

जी.एस.आर.98 :—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (पंचम संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 21 का संशोधन.— राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 21 में,—

- (i) उप—नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “सरपंच/उपसरपंच, प्रधान/उप—प्रधान के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद् को और प्रमुख/उप—प्रमुख के विरुद्ध प्रस्ताव होने के मामले में विकास आयुक्त” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सक्षम प्राधिकारी” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप—नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मुख्य कार्यपालक अधिकारी /विकास आयुक्त” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सक्षम प्राधिकारी” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नये नियम 167—क का अन्तःस्थापन.— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 167 के पश्चात् और विद्यमान नियम 168 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 167—क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"167-क. विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण।— कोई व्यक्ति जो पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण कराना चाहता है, वह पुनर्विधिमान्यकरण के लिए पंचायत को मूल विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विज़िर्डिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकेगा। पंचायत, पंचायत के अभिलेख से स्वयं का समाधान करने के पश्चात्, विक्रय विलेख, पट्टा या, गथास्थिति, पट्टा विलेख को पुनः विधिमान्य कर सकेगी और विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख पर इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगी।"

[संख्या एफ.4(7)अमे/रॉल्स/लीगल/पी.आर./2017/1457]

राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र शेखर मक्कड़,
शासन उप सचिव।

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION**

Jaipur, November 22, 2017

G.S.R.98 .-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 21.- In rule 21 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression " Chief Executive Officer/Zila Parishad in case of Sarpanch/Up Sarpanch, Pradhan/Up Pradhan and to the Development Commissioner in case motion is against Pramukh/Up-Pramukh.", the expression " the competent authority." shall be substituted; and

(ii) in sub-rule(2), for the existing expression " Chief Executive Officer/ Development Commissioner", the expression "competent authority" shall be substituted.

3. Insertion of new rule 167-A.- After the existing rule 167 and before the existing rule 168 of the said rules, the following new rule 167-A shall be inserted, namely:-

"167-A. Revalidation of Sale deed, Patta or Lease deed.- Any person who desires to get revalidate Sale deed, Patta or Lease deed issued by the Panchayat, he may apply, along with original Sale deed, Patta or Lease deed and fee, as may be specified by the State Government, from time to time, to the Panchayat for revalidation. The Panchayat may, after satisfying itself with the record of the Panchayat, revalidate the Sale deed, Patta or Lease deed, as the case may be and make an endorsement to this effect on the Sale deed, Patta or Lease deed."

[No. F4(7) AM/Rule/Legal/PR/2017/1457]

By Order of the Governor,
Rajendra Shekar Makker,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 12, मंगलवार, शाके 1939—जनवरी 02, 2018

Pausa 12, Tuesday, Saka 1939—January 02, 2018

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2018

संख्या एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/परा/2017/02 :—राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167—के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा केवल फीस निमानुसार निर्धारित करती है, अर्थात्—

- (i) पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन जारी किये गये पट्टों का पुनर्विधिमान्यकरण हेतु — 100/- रुपये
- (ii) पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अतिरिक्त अन्य नियमों के अधीन जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण हेतु — मूल विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डॉ०एल०सी० दर की राशि का एक प्रतिशत।

आज्ञा से,
विष्णु कुमार गोयल,
उप शासन सचिव।